दिनांक 26–04–2018 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं विगत बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक की कार्यवाही में किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं रहने के कारण सर्वसम्मति से दिनांकः–21.11.2014 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के निदेश के आलोक में कार्यावली के अनुसार एवं पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की कंडिकावार/विभागवार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गएः–

3– **कार्यावली बिन्दु संख्या–3**

(क) पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोषसिद्धि दर में सुधार एवं लंबित मामलों की समीक्षा

पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग के पत्रांक–377 दिनांक–21.04.2018 के अनुसार दोषसिद्धि दर में सुधार एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए काण्डों का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग द्वारा की जा रही है। पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा भी दोषसिद्धि दर में सुधार एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारी को Video conference के माध्यम से दिनांक–12.01.15 एवं दिनांक–19.04.2018 को निदेशित किया गया है। वर्ष 2017 में 79 अभियुक्तों को त्वरित विचारण कराकर सजा दिलायी गयी है।

वर्ष–2012 से दिसम्बर , 2017 तक दर्ज काण्डों की संख्या स्थिति निम्नवत् हैः–

वर्ष	हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आग लगी	विविध	पी० ओ० ए० 1989	पी०सी०आर० 1955	कुल
2012	66	191	39	47	4554	81	0	4978
2013	52	205	68	58	5666	305	5	6359
2014	58	245	38	51	5673	483	12	6560
2015	78	216	42	43	5459	460	74	6372
2016	54	246	45	23	5098	264	0	5730
2017	46	304	53	33	6028	362	0	6826

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम–2016 की कंडिका–4 में स्पष्ट है कि नियम–7 में (2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट को पुलिस महानिदेशक को भेजने और साठ दिन (60) की अवधि में अन्वेषण करते हुए आरोप पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में समर्पित करने का प्रावधान है।

इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि नियम के आलोक में अन्वेषण किया जा रहा है एवं आरोप पत्र निर्धारित समय–सीमा पर फाईल किया जा रहा है। फिर भी दोषसिद्धि दर काफी कम है। प्रायः अधिनियम–1989 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों में न्यायालय स्तर पर सुलह करने के कारण आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं। ज्ञापांक–1057/शि० नि०को०, दिनांक–25.09.2014 एवं ज्ञापांक–357 दिनांक–17.04.2018 के माध्यम से अत्याचार के लंबित काण्डों के निष्पादन हेतु त्वरित अन्वेषण एवं कार्य योजना के अनुरूप कार्रवाई कर प्रतिमाह प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। ज्ञापांक–355/संरक्षण कक्ष दिनांक–17.04.2018 के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारी को समय–सीमा 60 दिनों के अन्दर काण्ड का निष्पादन करने हेतु निदेशित किया गया है।माह फरवरी, 2018 के अन्त में 5399 काण्ड लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में सजा दर बहुत कम होने एवं अत्याचार के विविध मामलों की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई एवं निम्नांकित निदेश दिए गए :–

(i) दोषसिद्धि दर में सुधार, लंबित मामलों में विशेषकर विविध मामलों में कमी लाने के लिए प्रधान सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दर्ज काण्डों की थानावार नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय।

(ii) हर हाल में नियम–7 में (2) उपनियम (1) के आलोक में साठ दिन (60) की अवधि में अन्वेषण पूर्ण करते हुए आरोप पत्र विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में दायर किया जाय। गंभीर मामलों में स्पीडी ट्रायल (Speedy trial) द्वारा मामलों का निष्पादन किया जाय।

(iii) अधिनियम के प्रावधानों को समयसीमा में कार्यान्वित करने के लिए समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार किया जाय।

(अनुपालन–प्रधान सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(ख) नव सृजित "अनु० जाति/अनु० जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा सूचित किया गया कि नये थानों के निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र०	थानों के निर्माण की स्वीकृति	पूर्ण	निर्माणाधीन	निविदा	स्थगित	अभियुक्ति
1	17	8	4	2	2	1 (बरारी थाना के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन)

पटना, सिवान, बक्सर, अररिया, नवगछिया, सुपौल, नालन्दा एवं औरंगाबाद में नव सृजित "अनु० जाति/अनु० जनजाति विशेष थाना" के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।

- सभी 40 जिलों के "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति सम्वर्ग के 40 थानाध्यक्ष पदस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य थानों/ओ0पी0 में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के 177 थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी पदाधिकारी पदस्थापित हैं। सामान्य थानों में एक–एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कनीय पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 33 विशेष थानों के लिए पुलिस मुख्यालय से एक–एक जिप्सी उपलब्ध करायी गयी है। 7 थानों के लिए संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशेष थाना एवं महिला विशेष थाना के लिए 1–1 जिप्सी उपलब्ध करायी गयी है।

माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) सामान्य थानों के परिसर में या उसके अगल–बगल में उपलब्ध सरकारी भूमि में सभी "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" के भवनों का निर्माण कराया जाय। जिस थाना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उस थाना के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया जाय।

(ii) सभी "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन बिना देरी किये उपलब्ध कराए जाएँ।

(अनुपालन–गृह विभाग)

(ग) <u>अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यों की समीक्षा।</u>

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यालय स्तर पर विशेष कोषांग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के बीच वितरित सरकारी भूमि से बेदखली मामलों की नियमित समीक्षा की जाती है।

ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के अन्तर्गत बेदखल पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाने हेतु अभियान चलाया गया है, सितम्बर, 2014 से मार्च, 2018 तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महादलित सहित 81969 बेदखल पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाया जा चुका है।

- अभियान बसेरा के तहत सितम्बर, 2014 से मार्च, 2018 तक वास भूमि रहित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नवत हैः–

श्रेणी	कुल सर्वेक्षित	कुल वितरित
अनु0 जाति	12771	6483
अनु0 जनजाति	3912	2177
महादलित	67459	42703
कुल	84142	51363

- भूमि विवाद के गंभीर मामलों के अनुश्रवण हेतु अंचल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को संबंधित अचंलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक आयोजित किये जाने तथा अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन रिपोटिंग पोर्टल के माध्यम उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक–24(8)/रा0 दिनांक–17.01.2017 द्वारा संसूचित किया गया है। इस विषय की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प सं0–153 दिनांक–09.02.15 निर्गत किया गया है।
- प्रधान सचिव गृह विभाग, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा नियम–10 के तहत घोषित विशेष पदाधिकारियों (अपर समाहर्त्ताओं) के कार्यों की समीक्षा दिनांक–17.04.2018 को की गई तथा सभी संबंधित समाहर्त्ताओं को नियम–10 के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी एवं अभियान बसेरा के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत वर्गीकृत सभी जातियों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए सर्वे कराया जाय। इस कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर्मी की कमी होने पर बिहार महादलित विकास मिशन के अन्तर्गत नियोजित विकास मित्रों को भी लगाया जा सकता है।

(ii) गाँवों में आवासन योग्य भूमि की उपलब्धता के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वास हेतु 03 डिसीमल भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। 03 डिसमिल भूमि पर मकान, शौचालय, फल–फूल के पौधों को भी लगाया जा सकता था। वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार वास हेतु 05 डिसीमल भूमि उपलब्ध कराया जाना है, जिसके कारण यदि ससमय भूमि उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है तो नये प्रावधान की विधिवत् समीक्षा कर ली जाय एवं आवश्यकतानुसार इस पर पुनर्विचार किया जाए।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वास हेतु भूमि नदी, तालाब एवं निर्जन स्थान में दी जाती है। अगर वास योग्य सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो नयी भूमि क्रय नीति के आलोक में भूमि क्रय कर उपलब्ध कराई जाए।

(iv) नियम–10 के तहत घोषित विशेष पदाधिकारियों (अपर समाहर्त्ता) के कार्यों की समीक्षा प्रधान सचिव, गृह विभाग और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नियमित रूप से की जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–4

4–नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव, गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के तहत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8 (XI) के अधीन किये गये कार्यों की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग ने समिति को सूचित किया कि नियम–1995 के नियम–9 के तहत दोषसिद्धि दर में सुधार, लंबित मामलों की समीक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष थाना निर्माण, विशेष पदाधिकारियों के कार्यों एवं राहत अनुदान आदि की समीक्षा की जाती है। वर्ष 2018 में दिनांक–18.04.2018 को भी इसकी समीक्षा की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) अधिनियम/नियम के आलोक में प्रधान सचिव गृह विभाग, सचिव विधि विभाग, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) दोषसिद्धि दर में सुधार, लंबित मामलों में कमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष थाना निर्माण, विशेष पदाधिकारियों के कार्यों, विशेष लोक अभियोजकों के कार्योंएवं तत्काल राहत अनुदान उपलब्ध कराने आदि की समीक्षा की जाय एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के तर्ज पर तत्काल राहत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाय।

(ii) अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों के विभिन्न चरणों यथा पोस्टमार्टम एवं जख्म प्रतिवेदन की ट्रैकिंग, फोरेंसिक जाँच, आरोप पत्र दायर करने की स्थिति, ट्रॉयल, दोषसिद्धि, रिहाई, लंबित मामले के निष्पादन, राहत अनुदान भुगतान की वास्तविक स्थिति के अनुश्रवण के लिए पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा MIS विकसित किया जाय एवं MIS विकसित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–5

5–नियम–4 के तहत निदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षा।

निदेशक, अभियोजन द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2018 में दिनांक–15.01.2018 एवं 19.04.2018 को विशेष लोक अभियोजकों की कार्यपालन के पुनर्विलोकन के लिए बैठक आयोजित की गई है।

किशंनगंज एवं बांका के विशेष लोक अभियोजकों के समीक्षा बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

सभी विशेष लोक अभियोजकों को सुलह, सजा प्राप्त, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों एवं गवाह हेतु लंबित मामलों में Progressive प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। वर्ष 2014 से मार्च, 2018 तक अद्यतन निष्पादित एवं लंबित काण्डों की विवरणी निम्नवत है:–

वर्ष	वर्ष के प्रथम दिन लंबित काण्डों की संख्या	वर्ष में प्राप्त काण्डों की संख्या	कुल काण्डो की संख्या	कुल निष्पादित काण्डों की संख्या	कुल सजा की संख्या	कुल रिहा काण्डो की संख्या	परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण किये गये गवाहों की संख्या
2014	11990	2224	14214	1170	72	1098	7086
2015	12444	2175	14619	1523	63	1460	9088
2016	14416	3860	18276	1998	90	1864	9537
2017	22759	9929	32688	1443	89	1365	7978
मार्च, 18 तक	21274	1511	22785	279	15	260	1711

समीक्षा से परिलक्षित होता है कि निष्पादित काण्डों की संख्या, सजा की संख्या एवं रिहा काण्डो की संख्या की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तत्पश्चात् निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) दोषसिद्धि दर में सुधार एवं लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए विशेष लोक अभियोजक के कार्यों की नियमित समीक्षा निदेशक अभियोजन एवं विशेष रूप से विधि विभाग द्वारा की जाय। वैसे विशेष लोक अभियोजक, जो अधिनियम/नियम के तहत संतोषजनक कार्य नहीं करते हैं, की जगह पर नये योग्य अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपा जाए।

(अनुपालन–विधि विभाग/निदेशक अभियोजन)

कार्यावली विन्दु संख्या–6

6–नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/ भुगतान की समीक्षा।

सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अधीन मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ एक–एक अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) स्वीकृत हैं। सभी जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो एवं कार्यक्षमता की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। विशेष लोक अभियोजकों को जिले के लोक अभियोजक के बराबर अनुमान्य शुल्क ₹1500/– का भुगतान किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष–सह–मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) गृह विभाग, निदेशक अभियोजन, पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं विधि विभाग जिलों में लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में भी अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करें तथा सहमति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अनुरोध किया जाय।

(ii) विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा नियमित रूप से की जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–7

7–नियम–10 के अनुसार "विशेष अधिकारी" के कार्यों की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए Awareness Programme का आयोजन करने लिए सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाली Video conference के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को संशोधित अधिनियम, 2015 एवं संशोधित नियम, 2016 के आलोक में तत्काल राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए Awareness Programme का आयोजन नियमित रूप से किया जाय।

(ii) मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाली Video conference के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/गृह विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–8

8–पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत, यात्रा भत्ता और पुर्नवास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि वर्ष–2013–14 में कुल ₹695.00 लाख व्यय कर 2428 पीड़ितों, वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹1721.66 लाख व्यय कर लगभग 5273 पीड़ितों, वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹1711.42 लाख व्यय कर लगभग 4050 पीड़ितों, वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹1679.47 लाख व्यय कर लगभग 3492 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अब तक ₹2507.13 लाख की राशि व्यय कर अबतक लगभग 2976 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है।

(i) पीडित के आश्रित को पेंशन

हत्या के मामले में आश्रित/पीड़िता को निर्धारित दर पर प्रति माह 392 व्यक्तियों को पेंशन दी जा रही है। 14 अप्रैल, 2016 के बाद की घटना में आश्रित/पीड़िता को ₹5000/–के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता की दर से एवं उसके पहले की घटना में ₹4500/– की राशि पेंशन की राशि के रूप में दी जाती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संशोधन अधिनियम, 2015, नियम, 1995 एवं संशोधन नियम–2016 के तहत लाभान्वितों को राहत (Relief) इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान की जाती है।

(ii) यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

विभागीय पत्रांक– 1433 दिनांक–07.06.2017 एवं विभागीय पत्रांक–1030 दिनांक 21.04.2018 द्वारा यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सहायता देने का निदेश दिया गया है। यात्रा भत्ता के मामले में सामान्य रूप से एक ही जिला में संबंधित वाद के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान कुल ₹200/–(दो सौ रूपये) एवं प्रति व्यक्ति/प्रति उपस्थिति का दावा ₹200/–(दो सौ रूपये) से अधिक रहने पर वास्तविक भाड़ा भुगतान किया जाता है। दैनिक भत्ता हेतु श्रम संसाधन विभाग द्वारा अकुशल मजदूरी हेतु निर्धारित राशि देय है।

(iii) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(क) राहत अनुदान की राशि पीड़ित/आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग के तर्ज पर शीघ्रता पूर्वक दी जाय। मुआवजा के भुगतान की समीक्षा नियमित रूप से की जाय ताकि पीड़ितों/आश्रितों को समय पर मुआवजा मिल सके।

(ख) पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 6826 मामले दर्ज हैं, जबकि अबतक 2976 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा MIS विकसित किया जाय, जिससे पीड़ित/आश्रितों को तत्काल राहत देने संबंधी मामले की समीक्षा की जा सके।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0 व0))

कार्यावली बिन्दु संख्या–9

9–जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि विभागीय पत्रांक–4297 दिनांक–03.06.2016 एवं विभागीय पत्रांक–2864 दिनांक–17.11.2017 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम–2015 एवं (संशोधन) नियम–2016 की प्रति सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को समुचित प्रचार–प्रसार के लिए उपलब्ध कराई गई है। सभी जिलों में नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

वर्ष–2017 में जिला स्तरीय सर्त्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के लिए निर्धारत रोस्टर के अनुसार सभी जिलों को निदेश दिये गये हैं। 22 जिलों द्वारा तीन/चार बैठक, 15 जिलों द्वारा दो एवं जमुई जिला में एक बैठक आयोजित की गई है।

मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाली **Video conference** के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाती है।

विभागीय पत्रांक–240 दिनांक–01.02.18 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को नियमित बैठक आयोजित करने हेतु रोस्टर उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) प्रत्येक जिला पदाधिकारी के द्वारा राज्य स्तर पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करायी जाय।

(ii) जिस जिला पदाधिकारी द्वारा सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं की है उनसे कारण पृच्छा कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किये गये कार्यों एवं जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक की कंडिका जिला पदाधिकारियों की वार्षिक चारित्री अभियुक्ति में समाहित करने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली विन्दु संख्या–10

10–अन्यान्यः–

(i) **माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री, बिहार पटना** ने निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कियाः–

(a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत आने वाले काण्डों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने के लिए सभी थानों को पुलिस महानिदेशक द्वारा मार्गदर्शिका (Guidelines) निर्गत की जाय एवं अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाय। सभी पुलिस पदाधिकारियों को अधिनियम/नियम के प्रति संवेदनशील बनाया जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(b) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के नियम–15 में उपनियम(1) के आलोक एक योजना तैयार की जाय।

(अनुपालन–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)

(c) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अधिकांश मामलों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थानों में काण्ड दर्ज किये जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित/पीड़िता को कठिनाई होती हैं, जबकि सभी सामान्य थानों में अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज होने चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत आने वाले काण्डों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने के लिए सभी थानों को पुलिस महानिदेशक द्वारा मार्गदर्शिका (Guidelines) निर्गत की जाए एवं नियमित अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(ii) **श्री महेश्वर हजारी, सदस्य–सह– माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग** ने निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कियाः–

(a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान एवं आवास योजना के तर्ज पर अभियान चलाया जाय एवं सभी पुलिस पदाधिकारियों को अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी जाय।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक)

(iii) **श्री संतोष कुमार निराला, सदस्य–सह–माननीय मंत्री परिवहन विभाग** के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 पर अभियान चलाकर कार्य करने तथा पीड़ित एवं गवाह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को निदेश देने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक)

(iv) **श्री रमेश ऋषिदेव, सदस्य–सह–माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग** द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सड़क/नहर के किनारे आहर/तालाब में वास करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि/आवास खाली करने के पूर्व नियमानुसार वास योग्य भूमि उपलब्ध कराकर पुनर्वासित किया जाए।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(v) **श्री चिराग कुमार पासवान, सदस्य–सह–माननीय सासंद** द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों(Exclusive Special Courts)का गठन किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के तहत पीड़ित/आश्रित के आवेदक की प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) किसी भी थाने में दर्ज करायी जाए।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक)

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विस्थापित करने के पहले उनके लिए वास भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को गृह निर्माण की योजना का लाभ दिया जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(vi) **श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के तहत थानों में दर्ज काण्डों की गम्भीरता से समीक्षा की जाय एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए पुलिस महानिदेशक, निदेशक अभियोजन, पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग एवं सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा काण्डों की राज्य स्तर पर समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/निदेशक अभियोजन/अनु0 जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)

(ख) विक्रमगंज (रोहतास) थाना कांड सं0 71/2018 की जाँच अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर पर कराई जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(ग) विशेष लोक अभियोजकों को जागरूक किया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक अभियोजन/जिला पदाधिकारी)

(vii) **श्रीमती वीणा भारती, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधिनियम, 2015 के तहत थानों में दर्ज काण्डों का निष्पादन शीघ्र किया जाय एवं विशेष थानों के निर्माण में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। ।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(viii) **श्रीमती भागीरथी देवी, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम, 2016 के तहत सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाय।

(अनुपालन–जिला पदाधिकारी)

(ख) सभी थाना प्रभारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति संवेदनशील बनाया जाय एवं थाना प्रभारी गौनाहा, (भीतिहरवा) जिला–प0 चम्पारण द्वारा अनुसूचित जाति के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, इसकी जाँच पुलिस महानिदेशक से करायी जाय। सभी थानों में अत्याचार के पीड़तों को बैठने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(ix) **श्री मनीष कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करने पर धन्यवाद व्यक्त किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विस्थापित करने के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन्हें वास भूमि उपलब्ध करायी जाय ताकि सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को गृह निर्माण की योजना का लाभ दिया जा सके।

(ख) "अभियान बसेरा" योजनान्तर्गत वास भूमि/वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने में रजौन एवं धोरैया अंचलाधिकारी द्वारा अभिरूचि नहींली जाती है। वैसे पदाधिकारी, जो अनुसूचित जाति के कार्यों के प्रति रूचि नहीं रखते हैं, उनके विरूद्ध विधिसम्मत संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संबधित जिला पदाधिकारी)

(x) **श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विस्थापित करने के पूर्व पुनर्वासित किया जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संबधित जिला पदाधिकारी)

(xi) **श्री ललन पासवान, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा** निम्नांकित बिन्दुओं पर घ्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने के पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पुनर्वासित किया जाय। सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया जाय कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को विस्थापित करने के पूर्व आवास के लिए वास भूमि उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संबधित जिला पदाधिकारी)

(ख) रोहतास जिला अन्तर्गत कैमूर पहाड़ी पर बसे एवं तलहट्टियों के नीचे बसे गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था नल के माध्यम से की जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संबधित जिला पदाधिकारी)

(ग) रोहतास जिला अन्तर्गत चेनारी, रोहतास, अधौरा, तिलौथू एवं नौहट्टा प्रखण्ड के कैमूर पहाड़ अवस्थित प्राचीनतम रोहतास किला, शेरगढ़ किला, गुप्ताधाम, मुण्डेश्वरी धाम एवं शैलाश्रय तथा शैलचित्र को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय एवं कैमूर पहाड़ी के भू–गर्भ में विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा के अपार भंडार, करवन्दिया से यदुनाथपुर लगभग 100 कि0 मी0 में अवस्थित है, पर कार्य किया जाय। कैमूर वन्य जीव आश्रणी (Kaimur Wild Life Century) तथा वन्य संरक्षण अधिनियम, 1996 को सरल बनाया जाय।

(अनुपालन–पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग)

(ध) रोहतास जिला अन्तर्गत रोहतास प्रखण्ड के कल्याणपुर सीमेन्ट फैक्ट्री, बंजारी को चालू कराने पर विचार किया जाए।

(अनुपालन–उघोग विभाग)

(xii) **श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारानिम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(क) मनिहारी थाना अभियोग संख्या 151/13 दिनांक–02.08.2013 में तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी एवं पुलिस अधीक्षक कटिहार ने जानबूझ कर अपने अपेक्षित कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा की और वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा–4 के दोषी हैं और उनके विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(ख) श्री गोपाल प्रसाद मण्डल, पिता स्व0 भद्दो मण्डल, सा0 नया टोला डहेरिया थाना–नगर कटिहार, जिला–कटिहार अपनी जमीन मौजा–डहरिया, थाना न0–98, खाता न0–113, खेसरा न0–191 रकबा–5 एयर, 75 पो0 पर दिनांक–08.03.2017 को अपना घर बनाने पर मोहन चौधरी, महेश चौधरी, मनोहर चौधरी एवं अन्य सभी नया टोला डहेरिया थाना नगर कटिहार द्वारा घर बनाने नहीं दिया गया। जाति सूचक गाली देकर मारपीट की धमकी दी। नगर थाना में दिनांक–10.04.2017 को आवेदन दिया गया लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/संबधित जिला पदाधिकारी)

(ग) प्राणपुर थाना (रोशना ओ0पी0) अभियोग संख्या 116/17 दिनांक–02.07.2017 में जानबूझ कर अपने अपेक्षित कर्त्तव्यों की धोर उपेक्षा करनेवाले पुलिस पदाधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा–4 के दोषी हैं और उनके विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(घ) कटिहार नगर थाना अभियोग संख्या 71/18 दिनांक–29.01.2018 एवं मनिहारी थाना अभियोग संख्या 387/17 दिनांक–12.09.2017 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(ङ) श्री उत्तम पासवान, संगीत शिक्षक नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूर्णियाँ को मनिहारी थाना अभियोग संख्या–194/16 दिनांक–30.08.2016 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वाद संख्या Criminal Miscellaneous No. 6682/2017 में दिनांक–24.04.2017 को जमानत स्वीकृति की गई है, जिसके आलोक में योगदान स्वीकृत कराने में नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश संबंधित विभाग को दिया जाय।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग)

(च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नियम–1995, संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन नियम, 2016 के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण केन्द्र के कार्यों की समीक्षा की जाय एवं अत्याचार के पीड़ितों/आश्रितों को राहत अनुदान की राशि समय पर दी जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिरीक्षक(क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(vii) **श्रीमती प्रेमा चौधरी, माननीया सदस्य बिहार विधान सभा** द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(क) पातेपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड–जन्दाहा के नाड़ीकला पंचायत के ग्राम–नाड़ी में सुशील झा के घर के पीछे अनुसूचित जाति के लगभग 50 परिवार आवासित हैं, पहुँच पथ नहीं है, सुशील झा मुआवजा लेकर पहुँच पथ के लिए भूमि देने को तैयार है।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ख) तीसीऔता थाना वैशाली के थाना प्रभारी दूरभाष से बात करने पर अनसुनी करते है और कार्य को उलझा देते हैं। थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली की जाँच कराई जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(ग) अनुसूचित जाति को वास योग्य भूमि उपलब्ध कराई जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

अन्त में माननीय अध्यक्ष–सह–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गएः–

(i) राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप जिला स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित समय–सीमा के अन्दर आयोजित की जाय। जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक से संबंधित कंड़िका को जिला पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति (ACR) में शामिल किया जाय।

(अनुपालन–सामान्य प्रशासन विभाग/ अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(ii) मुख्य सचिव स्तर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिनियम/नियम के प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–मुख्य सचिव)

(iii) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यकलापों की समीक्षा हो। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्हे हटाकर नये अधिवक्ताओं को दायित्व सौपा जाय।

(अनुपालन–महानिदेशक अभियोजन/विधि विभाग)

(iv) विधि विभाग के स्तर से नए अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) के गठन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2015 एवं संशोधित नियम, 2016 के आलोक में संबंधित सभी पदाधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाय।

(अनुपालन–सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/सभी जिला पदाधिकारी)

(vi) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों के विभिन्न चरणों जैसे पोस्टमार्टम रिर्पोट,जख्म प्रतिवेदन, फॉरेसिंक जाँच, आरोप पत्र दायर करने की स्थिति, ट्रायल, दोषसिद्धि, रिहाई, लंबित मामले, निष्पादन एवं राहत अनुदान के भुगतान की रियल टाईम मॉनीटरिंग के लिए MIS विकसित किया जाए।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16.5.18

(प्रेम सिंह मीणा)
संयोजक–सह–सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018 1218 पटना, दिनांक–18/05/2018

प्रतिलिपि– सभी माननीय सदस्य, राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 5/18

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018 1218 पटना, दिनांक– 18/05/2018

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार/ आप्त सचिव, वित्त मंत्री/आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण/आप्त सचिव, विधि मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 5/18

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018 1218 पटना, दिनांक– 18/05/2018

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 5/18

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018 1218 पटना, दिनांक– 18/5/2018

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, अभियोजन/अपर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार /आरक्षी उप निरीक्षक/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 5/18

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018 1218 पटना, दिनांक– 18/05/2018

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञाप संख्या–3/निदे0 पी0 सी0 आर0(विविध)76–06/2018-1218 पटना, दिनांक– 18/5/2018

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, कर्पूरी भवन आशियाना–दीधा रोड, राजीवनगर, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग /सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।